छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ–3–23/रा–2/2012/बजट नया रायपुर, दिनांक 28|6|2013

प्रति,

कलेक्टर,
जिला– सुकमा एवं बेमेतरा
(छत्तीसगढ़)

विषय :– सुकमा जिला–सुकमा एवं नवागढ़ जिला– बेमेतरा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का कार्यालय खोलने बाबत् ।

संदर्भ :– इस विभाग के पत्र कमांक एफ–3–23/रा–2/2012/बजट दिनांक 25.6.2013

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय सन्दर्भित आदेश को निरस्त किया जाता है।

2/– छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के आदेश कमांक 203/एल 6–5/बजट–4/चार, दिनांक 22/5/2013 अनुसार सुकमा जिला सुकमा एवं नवागढ़ जिला बेमेतरा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय खोलने हेतु प्रति कार्यालय 07 पद के मान से कुल 14 पदों के निर्माण पर होने वाले व्ययभार की पूर्ति हेतु आकस्मिक निधि से रूपये 16.70 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

3/– उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति वर्ष 2013–14 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में मांग संख्या 08, मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन, लघु शीर्ष 093, योजना कमांक 1510– जिला स्थापना, उद्देश्य शीर्ष/विस्तृत शीर्ष 01– वेतन भत्ते आदि, 03–यात्रा भत्ता, 04–कार्यालय व्यय, 34 वाहन कय के अंतर्गत प्रावधान कर की जावेगी ।

4/– अतः राज्य शासन एतद् द्वारा सुकमा जिला सुकमा एवं नवागढ़ जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी जाती है।

5/– प्रति कार्यालय 07 पद के मान से कुल 14 पदों का निर्माण निम्नानुसार होगी :–

अनु. क.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पद संख्या प्रति अनुभाग	कुल पद
1	डिप्टी कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी	15600–39100/–	5400/–	01	02
2	रीडर/सहायक ग्रेड–2	5200–20200/–	2400/–	01	02
3	सहायक ग्रेड–3	5200–20200/–	1900/–	01	02
4	स्टेनो टायपिस्ट	5200–20200/–	1900/–	01	02
5	वाहन चालक	5200–20200/–	1900/–	01	02
6	भृत्य	4750–7440/–	1300/–	02	04
	योग–			07	14

क्रमशः–2–

No. 732
3/7/13

6/— वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक 203/एल 6—5/बजट—4/चार, दिनांक 22/5/2013 की छायाप्रति संलग्न है।

7/— यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.कमांक 251/सी.एन.2013—07—00001/बजट —5/वित्त/चार/2013 दिनांक 23.5.2013 द्वारा प्रदान की गयी है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.निहलानी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ—3—23/रा—2/2012/बजट नया रायपुर, दिनांक 28/6/2013

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,छ.ग.शासन, मंत्रालय रायपुर।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग।
4. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर।
5. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, रायपुर।
6. सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छ.ग. रायपुर।
8. आयुक्त, भू—अभिलेख, छ.ग. रायपुर।
9. समस्त संभागायुक्त, छ0ग0
10. समस्त कलेक्टर, छ.ग.
11. समस्त कोषालय अधिकारी, छ.ग.
12. संचालक, एन.आई.सी. मंत्रालय रायपुर की ओर राजस्व विभाग के वेबसाईट **www.cg.nic.in/revenue में अपलोड करने हेतु**
13. **राजस्व अनुभाग— 1,2,3 एवं (बजट शाखा4)**

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14. **आदेश फोल्डर .**

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय–नया रायपुर

क्रमांक 203 /एल 6–5/बजट–4/चार, नया रायपुर, दिनांक 22/5/2013
प्रति,

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर ।

विषयः– **आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत करने बाबत् ।**

राज्य शासन द्वारा सुकमा जिला सुकमा एवं नवागढ़ जिला बेमेतरा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय खोलने हेतु प्रति कार्यालय 07 पद के मान से कुल 14 पदों के निर्माण पर होने वाले व्ययभार की पूर्ति हेतु आकस्मिक निधि से रूपये 16.70 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया जाता है । यह राशि मुख्य शीर्ष 8000 आकस्मिकता निधि से विकलनीय होगी।

उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति वर्ष 2013–14 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में मांग संख्या 08, मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन, लघु शीर्ष 093, योजना क्रमांक 1510–जिला स्थापना, उद्देश्य शीर्ष/विस्तृत शीर्ष 01–वेतन भत्ते आदि, 03–यात्रा भत्ता, 04–कार्यालय व्यय, 34–वाहन क्रय, के अंतर्गत प्रावधान कर की जावेगी।

अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिये भेजी जाने वाली संक्षेपिका में इस बात का उल्लेख किया जावे कि इस कार्य के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

इस अग्रिम के आहरण एवं संवितरण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुकमा जिला सुकमा एवं नवागढ़, जिला बेमेतरा होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.जे. खत्री) 21/5/13
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 204 /एल 6–5/बजट–4/चार, नया रायपुर, दिनांक 22/5/2013
प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सुकमा/बेमेतरा ।
3. अवर सचिव,, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, बजट शाखा–5, मंत्रालय, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

21/5/13
शोध अधिकारी,
वित्त विभाग